

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक C/ 365

जबलपुर, दिनांक 10/10/2024

दो-13-104/23

वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-6-1/2018/नियम/चार भोपाल, दिनांक 08 मार्च 2019 में निहित प्रावधान के अनुसार स्व. श्रीमती नीतू विवेक बसोड, ज्यूडिशियल प्रूफ रीडर (हिन्दी), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की मृत्यु दिनांक 26/10/2023 को हो जाने के फलस्वरूप उनके अवकाश लेखे में शेष 270 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान किए जाने की स्वीकृति एवं उक्त राशि का भुगतान मृतक के पति श्री विवेक बसोड को किए जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

माननीय रजिस्ट्रार महोदय
के आदेशानुसार

सही/-
(संजय कुमार सिंह)
रजिस्ट्रार (प्रशा.)

पृष्ठांकन क्र. C/ 366

जबलपुर, दिनांक 10/10/2024

दो-14-104/23

प्रतिलिपि :-

- सीनियर प्रिंसिपल सिस्टम एनालिस्ट (एस.ए.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु,
- असि. रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
- सहायक वेतन पत्रक/अवकाश/सेवापुस्तिका/प्रोटोकॉल, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
- दो अतिरिक्त प्रति सहित आफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
- श्री विवेक बसोड, पता-शा. आवास एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय रामपुर छापर जबलपुर (म.प्र.) मो. नं. 9424381499

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

१०
संजय कुमार सिंह
रजिस्ट्रार (प्रशा.)